पत्र संख्या–15/डी0एल0ए0 समस्तीपुर (पुल व पहुँच पथ)–138/2013– पट II–15, दि0–19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0.................................. डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर – 1822/रा0 दिनांक 16-07-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–परदह, परगना–पड़री, थाना–हसनपुर, थाना नं0–281 जिला समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हसनपुर सखुआ पथ के 5वें कि0मी0 पर निर्माणार्थ पुल एवं पहुँच पथ हेतु स्थाई भू–अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम परदह के भीतर कम वो वेश रकवा **0.16** एकड़ के बराबर होता है एक भूखण्ड अपेक्षित है जिसका खेसरा सं0 अंश 524 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर :– खेसरा सं0 523।

पूरब :– सड़क।

दक्षिण :– सड़क।

पश्चिम :– अंश खेसरा सं0 524।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाऐंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल ~~की राय से~~ के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	अपर समाहर्त्ता	समाहर्त्ता
समस्तीपुर।	समस्तीपुर।	समस्तीपुर।

118

— 1822/रा०

ज्ञापांक ..../डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना, / दिनांक — 15 - 07 - 13

प्रतिलिपिः– (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/रोसड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

Sd/- 10/7/13

सरकार के अवर सचिव